न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/51

मसरू बाई आयु 45 वर्ष पत्नी उदालाल जाति कुम्हार निवासी झरबालापुरा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कल्याण आयु 70 वर्ष आत्मज कालू जाति कुम्हार निवासी झारबालापुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. गोपी आयु 60 वर्ष आत्मज कालू जाति कुम्हार निवासी झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. पुष्पाबाई आयु 50 वर्ष पत्नी कालू जाति कुम्हार निवासी झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहीसलदार, बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.11.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विभाजन का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम झरबालापुरा तहसील व जिला बून्दी में कुल 05 किता की रकबा 24 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 प्रत्येक के 1/3 – 1/3 हिस्से में दर्ज है । वादी ने वादग्रस्त आराजी में से अपने

हिस्से 1/3 में से 01 बीघा 05 बिस्वा आराजी प्रतिवादी पुष्पाबाई को बेचान कर दी । उक्त बेचान खसरा नम्बर 604 की भूमि में से किया गया है । पक्षकारान आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में है जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक से अपने खाते में दर्ज करावे तथा पृथक लगान कायम करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को प्राप्त होने वाली भूमि में से वादी द्वारा बेचान की गई भूमि रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा को कम प्रतिवादी कम 03 के नाम खातेदोरी में दर्ज करते हुए वादी को शेष भूमि वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से दर्ज की जावे ।

4. प्रतिवादी कम 03 ने परीक्षण न्यायालय में जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में अपने निर्णय दिनांक 13.07.2015 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर दिनांक 15.05.2018 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2018 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा में दो अलग–अलग अपील संख्या 18/357 एवं 18/423 पेश की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 01.04.2019 के द्वारा उक्त दोनों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया ।

7. परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2019 की पालना में पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.02.2021 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई ।

8. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.02.2021 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 02 मसरू बाई अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 09.07.2019 को प्रेषित किये गये । उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति दिनांक 22.08.2019 को दर्ज करवा दी गई कि बंटवारा रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं हैं । उसके बाद कोई विभाजन प्रस्ताव परीक्षण न्यायालय में नहीं भिजवाये गये हैं । तहसीलदार बून्दी द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.08.2019 को परीक्षण न्यायालय में पेश किये गये वे पूर्णतया 15.05.2018 की हुबहू प्रतिलिपि है । दोनों बंटवारा रिपोर्ट समान है । दोनों विभाजन प्रस्तावों पर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2019 की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.02.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बंटवारे के लिए एक दावा परीक्षण न्यायालय में पेश किया गया था जिसको दिनांक 15.07.2015 को राजस्व कैम्प में प्रारम्भिक डिक्री किया गया । इसके बाद लोक अदालत में दिनांक 15.05.2018 को अंतिम डिक्री पारित की गई । इसकी अपील पेश होने पर न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 01.04.2019 के द्वारा निर्णय पारित करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया और राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करने के निर्देश दिये गये थे । परीक्षण न्यायालय ने पुनः बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की जिस पर अपीलान्ट ने आपत्ति पेश की थी । बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 09.07.2019 पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं । बंटवारा रिपोर्ट से अपीलान्ट संतुष्ट नहीं हैं । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की आपत्ति को अस्वीकार कर तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर त्रुटिपूर्ण रूप से अंतिम डिक्री पारित की है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । रिमाण्ड निर्देशों की भी पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.02.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्याालय ने प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार राजस्व मण्डल नियमों की पालना में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किये हैं । बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का अवसर भी प्रदान किया गया है और दावे के अनुरूप ही मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई है। अपीलान्ट प्रकरण को लम्बा करना चाहते हैं उन्होंने यह नहीं बताया है कि अंतिम डिक्री में किस प्रकार कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है तथा किस खसरा नम्बर पर उनका कब्जा है जो उन्हें नहीं मिला है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.02.2021 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.07.2015 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई इसके उपरान्त दिनांक 15.05.2018 को अंतिम डिक्री पारित की गई जिसकी अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया और इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.07.2015 को पारित की गई है जिसमें खाता संख्या 43 में कल्याण, गोपी पिसरान कालू का हिस्सा 2/3 और मसरू बाई पत्नी उदा लाल हिस्सा 1/3 व खाता संख्या 41 में कल्याण आत्मज कालू हिस्सा 43/264 प्रेमबाई 15/88, गोपी हिस्सा 1/3 और मसरू बाई हिस्सा 1/3 के अनुसार पारित की गई है । इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने के उपरान्त जो बंटवारा प्रस्ताव आये हैं उनका अवलोकन किया गया । बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 26.06.2019 को तहसीलदार के द्वारा तैयार किये गये हैं । तहसीलदार, हल्का पटवारी और भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ मौके पर गये हैं । मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कल्याण आत्मज कालू, गोपी आत्मज कालू, मसरू बाई पत्नी उदालाल उपस्थित हुए हैं परन्तु उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है । खाता संख्या 41 में 08 बीघा 16 बिस्वा आराजी है जिसके खसरा नम्बर 604 है और खाता संख्या 43 में 04 किता की 15 बीघा 12 बिस्वा आराजी है कुल 24 बीघा 08 बिस्वा आराजी है जिसमें मसरू बाई

अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा निहित है । अपीलान्ट को खसरा नम्बर 604 की 04 बीघा 04 बिस्वा और खसरा नम्बर 606 की 03 बीघा 13 बिस्वा आराजी विभाजन में दी गई है और मौका रिपोर्ट पर यह भी अंकित है कि खातेदार इसी अनुसार वर्षों से काबिज हैं । खसरा नम्बर 605 और 651 में कल्याण, गोपी और मसरू बाई का 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया है । परीक्षण न्याालय में मसरू बाई के द्वारा आपत्ति पेश की गई है और परीक्षण न्यायालय के द्वारा आपत्ति को अस्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा परीक्षण न्यायालय में जो जवाबदाव पेश किया है उसमें भी मद संख्या 03 में खसरा नम्बर 604 में स्वयं का 04 बीघा 16 बिस्वा हिस्सा बताया है और अपीलाधीन निर्णय से उन्हें खसरा नम्बर 604 में 04 बीघा 04 बिस्वा और खसरा नम्बर 606 में 03 बीघा 13 बिस्वा आराजी दी गई है । इस प्रकार अपीलान्ट को राजस्व रिकॉर्ड हिस्से के अनुसार आराजी अंतिम डिक्री में दी गई है और अंतिम डिक्री राजस्व मण्डल नियमों की पालना में तैयार की गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.02.2021 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/11/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/51

मसरू बाई आयु 45 वर्ष पत्नी उदालाल जाति कुम्हार निवासी झरबालापुरा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. कल्याण आयु 70 वर्ष आत्मज कालू जाति कुम्हार निवासी झारबालापुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. गोपी आयु 60 वर्ष आत्मज कालू जाति कुम्हार निवासी झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. पुष्पाबाई आयु 50 वर्ष पत्नी कालू जाति कुम्हार निवासी झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहीसलदार, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2021 अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 39/दावा/2013

कल्याण आत्मज श्री कालू जाति कुम्हार निवासी झरबालापुरा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. गोपी आयु 50 वर्ष आत्मज कालू जाति कुम्हार ।
2. मसरू बाई आयु 40 वर्ष पत्नी उदा लाल जाति कुम्हार ।
3. पुष्पाबाई आयु 60 वर्ष पत्नी कालू जाति कुम्हार निवासीगण झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.02.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.11.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कुलदीप सिंह एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 02 की ओर से अभिभाषक श्री कृष्णदत्त दाधीच के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.02.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30/11/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा